संख्या-34/2024/1268/22-2-2023-17(820)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक-24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल, महमदपुर महेवा, थाना-खीरी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। मकान के कब्जे करने के उद्देश्य की पूर्ति में प्राणघातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर दिनांक 29.07.2007 को बन्दी ने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नारेन्द्र उर्फ लाले व श्रीमती सुदामा नामक महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45, 47/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 व धारा-25(1-बी) ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-09, सीतापुर के आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 01 माह 25 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 07 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान पर कब्जे करने के उद्देश्य से बन्दी ने दिनांक 29.07.2007 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नारेन्द्र उर्फ लाले व श्रीमती सुदामा नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा (बंदी संख्या-434/2013) पुत्र श्री पारिखलाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-34/2024/1268(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) सं0-9519/2022 प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 एवं दिनांक 14.12.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-03/2024/1268/22-2-2023-17(820)/2023

दिनांक 03 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल, महमदपुर महेवा, थाना-खीरी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। मकान के कब्जे करने के उद्देश्य की पूर्ति में प्राणघातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर दिनांक 29.07.2007 को बन्दी ने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नारेन्द्र उर्फ लाले व श्रीमती सुदामा नामक महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45, 47/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 व धारा-25(1-बी) ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-09, सीतापुर के आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 01 माह 25 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 07 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान पर कब्जे करने के उद्देश्य से बन्दी ने दिनांक 29.07.2007 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नारेन्द्र उर्फ लाले व श्रीमती सुदामा नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।